R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part – 1st
Paper — IInd
Constitutional Law

निवास की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19(1)(ङ) सभी नागरिकों को संपूर्ण भारत में बसने या आवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके लिए उसे किसी पूर्व-अनुमति की आवश्यकता नहीं है। किन्तु इस अनुच्छेद 19 के खण्ड (5) के अंतर्गत इस अधिकार पर राज्य साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बन्धन लगा सकता है।

निवास की स्वतंत्रता और भ्रमण की स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक हैं और दोनों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना है। भ्रमण की स्वतंत्रता की भाँति निवास की स्वतंत्रता पर साधारण जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं। भ्रमण की स्वतंत्रता से संबन्धित अधिकांशतः विनिश्चय निवास की स्वतंत्रता से भी सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिए, सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन विमेन एण्ड गर्ल्स ऐक्ट 1950 मजिस्ट्रेट को अनैतिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष स्थान से हटाने का आदेश देते

की शक्ति प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट ने एक वेश्या को शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्र से बाहर चले जाने का आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने इसको उसके भ्रमण एवं निवास की स्वतंत्रता पर अनुचित निर्बन्धन माना है। इस बात का निर्णय मजिस्ट्रेट ही करेगा कि एक विशेष स्थान से एक वेश्या का निष्कासन सामान्य जनता के हित में है या नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या का विनिश्चय भी इसी अनु० के लिए विचारणीय है।

भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता को आपातकाल में भी कम या निलम्बित किया जा सकता है। फॉरेनर्स एक्ट 1964 और 1966 के अंतर्गत किसी भी विदेशी व्यक्ति के भ्रमण एवं निवास के अधिकार पर भी निर्बन्धन लगाये जा सकता है और उन्हें भारत से निष्कासित किया जा सकता है। इस विषय पर इब्राहीम बनीर बनाम बम्बई राज्य का मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में पाकिस्तान नियंत्रण अधिनियम की धारा 7 की संविधानिकता को चुनौती दी गयी थी। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा पाकिस्तान से भारत में बिना किसी अनुज्ञा पत्र या परिपत्र के प्रवेश करना एक दण्डनीय अपराध है। अधिनियम की धारा 7 केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति देती है, जिसके अधीन वह किसी भी व्यक्ति को जिसमें भारत का नागरिक भी शामिल है, जिसने इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया है या जिसके विरुद्ध ऐसे अपराध करने

का युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है। भारत से निकल जाने का आदेश दे सकती है। प्रार्थी बिना अनुज्ञा पत्र के भारत में घुस आया था। उसे उक्त अधिनियम के अंतर्गत बंदी बनाकर देश से निष्कासित कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को इस आधार पर अवैध्य घोषित कर दिया कि वह यह नागरिकों के भारत-क्षेत्र में कहीं भी बसने या निवास करने के मूल अधिकार पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन लगाता है। किसी नागरिक का बिना अनुज्ञा पत्र के बिना अपनी मातृभूमि में आना कोई ऐसा गंभीर अपराध नहीं है जिसके आधार पर उसका निष्कासन न्यायोचित ठहराया जा सके। इसके अतिरिक्त अधिनियम के अंतर्गत इस बात का विनिश्चय कि किसी ने अपराध किया है या नहीं, सरकार के व्यक्ति निष्ठ निर्णय पर छोड़ दिया गया है जो सरकार को मनमानी शक्ति प्रदान कर देता है।

मध्यप्रदेश राज्य बनाम भरत सिंह के मामले में मध्य प्रदेश पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1959 की धारा 3 सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान में रहने जिसका उल्लेख आदेश में किया गया है, या उस स्थान को छोड़कर प्राधिकारियों द्वारा नियत स्थान में जाकर निवास करने के लिए आदेश दे सकती थी। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह अधिनियम संविधान के अनु 19(1)(घ) में दिये गये अधिकार पर निर्बन्धन लगाता है; इसलिए अवैध्य है।